

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 965]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939

No. 965]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGRAHAYANA 7, 1939

### गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 1468(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुध नियम, 2016 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

- 1. (1) इन नियमों को आयुध (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयुध नियम, 2016 के नियम 15, उप नियम (2) और (4) में अंकों, अक्षरों तथा शब्द '1, अप्रैल 2017' को अंकों, अक्षरों तथा शब्द '1, अप्रैल 2018' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. वी.-11026/133/2017-आयुध]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

# MINSTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2017

**G.S.R. 1468(E).**—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Arms Rules, 2016, namely:—

- (1) These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Arms Rules, 2016, in rule 15, in sub-rules (2) and (4) for the figures, letters and words "1st day of April, 2017" the figures, letters and words "1st April, 2018" shall be substituted.

[F. No. V.-11026/133/2017-Arms] MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

6955 GI/2017